

प्रारूप-9  
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01226/2022-2023

दिनांक 28/07/2022



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण

संख्या: R/SUL/06814/2022-2023

पत्रावली संख्या: F-23418

दिनांक: 2007-2008

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पं० राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, ग्राम-पड़ेला, पोस्ट-काढीपुर, तहसील-काढीपुर, जिला-सुलतानपुर, उ०प्र०१, सुलतानपुर, 228145 को दिये गये रजिस्टीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 326/2007-08 दिनांक-06/06/2007 को दिनांक-06/06/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्पर्क रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
(VANDNA SINGH)

6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66

Date: 28/07/2022 7:21:10 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-28/07/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10AA 555418



पाँच रुपये भारत महान् विधालय  
शासन संघ सुलतानपुर ५०२३४१०  
नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

मेर्या समितिय, तथा विद्यु  
प्रैक्षिकावाद (ब० प०)  
१३/८/२००७

भारतीय गैर-न्यायिक

पाँच रुपये

₹.5



FIVE RUPEES

RS.5

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10AA 555417



पंचाम चाल अमित्र महा । १९८५  
विजय द्वारा सुलतानपुर । रुप. २३४१०  
र-मृ०-५५

पता प्रतिलिपि

पता निवन्धक  
सर्व विविध, तथा विद्व  
४ अग्राहा (४० रु.)  
१९८५ | २०००

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : प० राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान  
 2. संस्था का पूरा पता : ग्राम पड़ेला पो० कादीपुर तह० कादीपुर जिला सुलतानपुर  
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश  
 4. संस्था का उद्देश्य :
1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक निःशुल्क पढ़ायाना एवं उनके प्रोत्साहित करना।
  2. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विधार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
  3. बालक एवं बालिकाओं को उर्दू अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं का निःशुल्क सम्मुखियत ज्ञान कराना।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रीढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।
- समाज के शैक्षिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निःशुल्क कार्य करना।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तबकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देकर राष्ट्र के विकास में निःशुल्क सहयोग करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार प्रसार करना।
- शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी एवं कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
- बालक-बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति निःशुल्क जागरूकता प्रदान करना।
- ज्ञानार्जन हितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय आदि की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
- छात्रों-छात्राओं के लिए छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।
- समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छूआ-छूत, अंधविश्वास, आदि का शिक्षा के माध्यम से दूर करने का निःशुल्क प्रयास करना।
- शिक्षा के माध्यम से विभिन्न संकामक रोगों जैसे एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस वी, आदि जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बालक-बालिकाओं को निःशुल्क जागरूक करना।
- बालक-बालिकाओं के लिए संगीत कला, हस्तकला, शिल्पकला कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
- कमजोर तथा निर्बल वर्ग के लोगों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिए विशेष शिल्प कला, चित्रकला, सिलाई कलाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।
- नारी उत्थान के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क शैक्षिक व्यवस्था करना एवं कार्यक्रम चलाना, स्कूल तथा उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों की निःशुल्क स्थापना करना।

ठिः ४४ रुपुणी

४७. कुटीर उद्योग / तेलधानी / राइस मिल / रस्ती कटाई / कदाई बुनाई आदि उद्योग की स्थापना करके लोगों को स्वालम्बी / रोजगार देना।

४८ रोसायटी रजिस्ट्रेशन की एकट की धारा 20 के अनुमित समर्स्त कार्यों का संचालन करके लोगों को विकास हेतु मान्य होगे।

१५ गांधी/अम्बेडकर के विचार धारा के अनुरूप क्षेत्र में उपयोगी कार्यों को संचालित करना।

सरथा के प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम एवं पते, पद तथा व्यवसाय जिनको सरथा के गृहितपत्र तथा नियमानुसार सरथा का कार्य भार सौंपा गया है।

क्र.	नाम	पिता / पति के नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	रमा शंकर मिश्र	श्री राम चरित्र मिश्र	पडेला कादीपुर, सुलतानपुर	प्रबन्धक / सचिव	कृषि
2	देव राज पाण्डेय	श्री राम विलास पाण्डेय	रमगढ़ा, धनीपुर प्रतापगढ़	उपप्रबन्धक / उपसचिव	कृषि
3	श्रीपाल पाण्डेय	पारस्नाथ पाण्डेय	धनहुआ, बर्लआ सुलतानपुर	अध्यक्ष	कृषि
4	रेखा	पत्नी श्रवण कुमार	पडेला कादीपुर, सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
5	शान्ती देवी	पत्नी रमाशंकर	पडेला कादीपुर, सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	कंचन	पत्नी अरबिन्द कुमार	धनऊपुर कादीपुर सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
7	* प्रीती	पत्नी रोहित कुमार	पडेला कादीपुर, सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
8	राम कुमारी	पत्नी मथुरा प्रसाद	एव. ब्लाक, किंदवई नगर कानपुर	सदस्य	कृषि
9	प्रेम शंकर	राज मूर्ति मिश्र	हरिहरपुर सिंगरामऊ, जीनपुर	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा सलानक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है प्रबंध समिति के दस्यएव पदाधिकारीयों के हस्ताक्षर नीचे है।

प्रकार प्रबन्ध समिति में सदस्यों एवं पदाधिकारियों की कुल संख्या 9 होगी।

(व) बैठक

(स) सूचना अवधि:

(द) गणपूर्ति:

(य) रिक्त स्थानों की



(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार / कर्तव्य:

1. समस्त आय-व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। संस्थान के हित में कार्य करना। दान, घन्दे अनुदान की व्यवस्था करके साधारण सभा की स्वीकृत की अपेक्षा से उसका उपयोग करना। पूर्ण रूपेण साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहना। ऐसा समस्त कार्य जो संस्था के हित में हो, भूमि भवन, अन्य शिक्षण साम्रग्रियों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करना। संस्था के कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र आदि साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना और नियमानुसार उस पर कार्यवाही करना सुयोग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। उन्हें पुरस्कृत करना।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु किसी प्रकार का विवाद, उल्लंघन होने की स्थिति में संस्था के हित में प्रबन्धक / सचिव को यह विषेष अधिकार होगा कि वह प्रबन्धकारिणी भंग कर,

सत्य प्रतिलिपि  
द्वारा लिखन्यक  
पूर्ण समितिया तथा चिट्ठा  
कैम्बराद (पृष्ठ ३०)  
११०/१००  
३० शम्भ वरिष्ठ निकाय का प्रतिलिपि  
पड़ोला, कालीगढ़-सातारा ज़िला  
२०१०/१००  
कृता १००

कृता  
पूर्ण

A.P.B.  
8

## नियमावली

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

प. राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण विभाग  
ग्राम पड़ोला, लोटाडीपुर-मुख्तानपुर तृणमुखीपुर डिंगुलामुखी  
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश  
स्मृति पत्र के अनुसार

(लोधीमुखी)

क. संस्थापक सदस्य : जो व्यक्ति स्थापना के समय कम से कम 1000 रु० देकर रसीद प्राप्त करेगा। वह संस्थापक सदस्य की श्रेणी में रहेगा। किन्तु शर्त यह कि इस प्रकार के सदस्य को प्रतिवर्ष कम से कम 500 रु० संस्था के हित में दान करके। रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी वह मत देने का अधिकारी होगा।

ख. आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक ही बार में 25000/-रु० दान करके रसीद प्राप्त करेगा तो वह आजीवन सदस्य रहेगे।

ग. संरक्षक सदस्य : जो प्रति दर्ष लगातार 501 रु० देता रहेगा वह संरक्षक सदस्य होगा। यदि देने का क्रम टूट जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।



6. सदस्यता की समाप्ति :

**सत्य प्रतिलिपि**

*[Signature]*  
उप समितियाँ तथा विद्युत क्रियालय (र० प्र०) करने पर। 7. संस्था के अग्र 1990 के दण्डित होने पर।

निम्न कारणों से सदस्यता समाप्त की जायेगी-

1. किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर। 2. त्याग पत्र की स्वीकृत हो जाने पर। 3. पागल/दिवालिया हो जाने पर। 4. अविश्वास का मत प्राप्त हो जाने पर। 5. सदस्यता शुल्क समय से न जमा करने पर। 6. संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर। 7. अनैतिक अपराध में किसी न्यायालय

संस्था को ही संस्थान कहा जायेगा। इसके दो अंग हैं- 1. साधारण समा या साधारण समिति 2. प्रबन्धकारिणी समिति या कार्य कारिणी समिति

*[Signature]*  
५० धम चरित्र मिश्र महाविद्यालय  
ग्राम पड़ोला, काशीपुर-त्रिलोकपुर  
दृष्टि दिन १५/०३/१९९०

कृत्यन

श्रीती

8. साधारण सभा

(अ) गठन :

संरक्षक के आजीवन एवं संस्थापक और संरक्षक एवं सदस्यों के आजीवन एवं संस्थापक और संरक्षक एवं सदस्यों के माने जायेगे। लोकतीना सदस्यों को मिला कर साधारण सभा का गठन होगा।

(ब) बैठक :

साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में अवश्य होगी। विशेष बैठक वर्ष में किसी भी समय सचिव/प्रबन्धक द्वारा बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:

सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या की  $\frac{2}{3}$  होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित अग्रिम बैठक के लिए दुबारा यह गणपूर्ति नहीं होगी। किन्तु नया विचारणीय प्रस्ताव नहीं जोड़ा जा सकेगा।

(य) विशेष/वार्षिक

अधिवेशन की तिथि प्रतिवर्ष मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में वार्षिक अधिवेशन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान सत्र के लेखा-जोखा का सत्यापन और आग्रिम सत्र के सम्मावित बजट या अन्य क्रिया कलापों और योजनाओं पर सहमति का प्रस्ताव किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसी बैठक में प्रबन्ध समिति का चुनाव किया जायेगा।

के कर्तव्य एवं अधिकार- प्रबन्ध समिति का चुनाव करना। सभी योजनाओं को सचालित एवं प्रसारित करना। संस्थान के आय-व्यय का सत्यापन करना। वर्ष में एक बार सामान्य तथा आवश्यकतानुसार विशेष बैठक का आयोजन करना। वार्षिक अधिवेशन करना।  $\frac{2}{3}$  बहुमत से नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करना। संस्थान के चल-अचल सम्पत्ति को अपने नियंत्रण में रखना एवं क्रय-विक्रय करना आदि।

9. प्रबन्धकारिणी समिति:

(अ) गठन :

साधारण सभा के संरक्षक एवं संस्थापक और आजीवन सदस्य मिलकर प्रबन्ध समिति का गठन अपने बहुगत आधार पर करेंगे। जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, एक उपसचिव/उपप्रबन्धक, एक कार्यालय और 4 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इस



सत्य प्रतिलिपि

लाल तिक्कार  
कर्म समितया तबा बिद्दु  
केवलम् (४० प्र०)  
१९०१/३००१

9. प्रबन्धकारिणी समिति:

(अ) गठन :

साधारण सभा के संरक्षक एवं संस्थापक और आजीवन सदस्य मिलकर प्रबन्ध समिति का गठन अपने बहुगत आधार पर करेंगे। जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, एक उपसचिव/उपप्रबन्धक, एक कार्यालय और 4 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इस

कार्यक्रम

प्रीति

गृह्यावधि चुनाव करा दे और इस अधिग्रहि में समस्त अधिकार अपने हाथ में रखें।

#### 10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

##### 1. अध्यक्ष

- (क) साधारण सभा अथवा प्रबंधकरिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता एवं किसी प्रकार से यावार गत आने पर निर्णायक मत अधिकार प्रयोग करना।
- (ख) समस्त पदाधिकारियों के कार्य की देख रेख एवं आवश्यक निर्देश देना।

##### 2. उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपरिधिति में उनके द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्य का पालन करना।

##### 3. सचिव / प्रबन्धक:

(क) सचिव को ही प्रबन्धक या व्यवस्थापक कहा जायेगा। स्थान तिथि समय एवं विचारणीय विषयों का निर्धारण करके संस्थान के दोनों अंगों की बैठकों को बुलाना।

(ख) संस्थान के प्रत्येक लेख एवं अभिलेखों को अपने संरक्षण में रखना।

(ग) संस्थान के साधारण सभा के माध्यम से यदि किसी भी प्रकार से कोई विषय परिरिधिति उत्पन्न होती है। तो उस समय संस्था के दोनों अंगों के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य पर सचिव / प्रबन्धक का नियंत्रण होगा और वह अपने विवेक से संस्थान का कार्य करेगा एवं संस्था के हित में उचित एवं अपेक्षित निर्देश प्रबंधकरिणी समिति को देना और उसके कार्यों की समीक्षा करना।

(घ) संस्थान हेतु दान/अनुदान आदि सभी प्रकार से आय प्राप्त करके यथोचित उसकी रसीद देना और संस्थान के हित में उसे व्यय करना।

(ङ.) संस्था के आदालती कार्यवाही के संचालन के उत्तर दायित्व निभाना।

(च) संस्थान के स्मृति पत्र के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त कार्यवाही क्रिया कलापों का नियंत्रण रखते हुए उसका संचालन करना।

4. उपसचिव / उपप्रबन्धक: सचिव / प्रबन्धक द्वारा लिखित प्राप्त होने पर सचिव / प्रबन्धक के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का संचालन करना।

०८ कराज ५। जैप

कृत्यन

धीरी

A.P. Panigrahi 9

5. कोषाध्याक्ष : सरथा के आय-व्यय के संचालन में सचिव/प्रबन्धक की सहायता करना। वार्षिक बजट तैयार करना। प्रतिमाह कम से कम 500 रु० अपने पास रख कर व्यय करना।

11. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया: इस नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन इसी उद्देश्य से बुलाई गई साधारण सभी की बैठक में निहित होगा जिसका एजेण्डा संशोधन के रूप से आलेख सहित 15 दिन पूर्व निकाला गया हो और कुल सदस्यों के  $\frac{2}{3}$  की उपस्थिति हो। जिसमें सचिव/प्रबन्धक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

12. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी अधिकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में रहेगा और एकाउण्ट आपरेट करने का अधिकार प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष का होगा। संस्था के विद्यालय प्राइमरी से इंटरमिडिएट स्तर की कक्षाओं की छात्रवृत्ति आदि के खातों का संचालन, प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सामाजिक विकास कार्य वेतन संबंधी कार्य हेतु खाता सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा सचालित होगा।

13. सरस्था का आय-व्यय

14. संस्था द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संयोजन का दायित्व-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी भी अदालती कार्यवाही का दायित्व केवल सचिव को होगा।

## 15. सरथा का अनियन्त्रित

सरथा में निम्न लिखित अभिलेख होंगे—

(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कोष रजिस्टर

(ग) रटाक रजिस्टर      (घ) कार्यवाही रजिस्टर

16 विघटनकारी समितियां, तथा चिदूर (वि. बुद्धि) एजेण्डा रजिस्टर  
 (वि. बुद्धि) सरस्थान के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के  
 विस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्टर की  
 धूरा 13 तथा 14 के अनुसार पूर्ण की जायेगी।

सत्याप्रतिलिपि

卷之三

୪୮

۱۰۷

10